न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), इटावा।

दिनांक–12.04.2024 **मूल प्रकीर्ण वाद सं०–04/2023**

पत्रावली पेश हुई।

निस्तारण प्रार्थनापत्र –28 ग

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 28 ग मय शपथपत्र 29 ग इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण महेशबाबू ने मृतक शिवचरन के न्यायालय में दायर किया था, जिसमें मृतक शिवचरन लाल के जमा खाते सं०–10754759103 में जमा धनराशि के बाबत अद्यतन आख्या प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा ददोरा जनपद इटावा से आख्या तलब की गयी है, रिपोर्ट बैंक न्यायालय में आ चुकी है, जिसमें बैंक में उक्त खाते में कुल धनराशि मु०–16,36,693.13/-रुपये प्रदर्शित की गयी है, जबकि दावा दायरा करते वक्त खाते में धनराशि मु०–16,03,964.13/-रुपये जो कि दावे में तहरीर की गयी थी। चूंकि रिपोर्ट आने के बाद वादपत्र में जहां–जहां मु०–16,03,964.13/-रुपये धनराशि तहरीर है, न्यायहित में उसके स्थान पर मु०–16,36,693.13/-रुपये धनराशि अंकित होना निहायत ही जरूरी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र 28 ग के माध्यम से संशोधन किये जाने की याचना की गयी।

विपक्षीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध भारतीय स्टेट बैंक की आख्या (कागज सं०–30 ग) के परिशीलन से विदित होता है कि दौरान मुकदमा खातेदार शिवचरन लाल के खाते में जमा धनराशि में वृद्धि हो गयी है। उक्त आख्या के आधार पर धनराशि मु०–16,03,964.13/-रुपये के स्थान पर मु०–16,36,693.13/-रुपये होना अंकित किये जाने हेतु वादी द्वारा संशोधन चाहा गया है, वांछित संशोधन वाद के सम्पूर्ण व न्यायोचित निस्तारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र 28 ग न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 28 ग स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी वांछित संशोधन अविलम्ब करना सुनिश्चित करें। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 25.04.2024 को पेश हो।

सिविल जज (सी०डि०),
इटावा।